राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/22 जयपुर, दिनांकः 25.11.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते है :-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	गिरधारी लाल जाखड़ उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	संयुक्त विधि परामर्शी, महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	यथावत
2.	विजय कुमार जैन	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	श्री नरेन्द्र आर्य के स्थान पर
3.	कृपावती हर्ष	उप विधि परामर्शी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी, नगर निगम जोधपुर उत्तर, जोधपुर	यथावत
4.	प्रताप सिंह राठौड़	उप विधि परामर्शी, नगर निगम जोधपुर उत्तर, जोधपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर	पदोन्नति पर यथावत
5.	भारती ठकुरानी	उप विधि परामर्शी, नगर निगम, अजमेर	उप विधि परामर्शी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	नवसृजित रिक्त पद पर
6.	शैलेन्द्र रंगा	सहायक विधि परामर्शी, मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	यथावत
7.	रेखा मीणा,	सहायक विधि परामर्शी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, विधि-II, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, कार्मिक (क-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
8.	निखिल प्रताप सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिला कलक्टर, कार्यालय धौलपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से

25-11-22

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

E:\Piyush 2020\Legal Data\2021-22\Order.docx

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिर्पोट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Piyush 2020\Legal Data\2021-22\Order.docx